न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 23/2018

वाद दायरी दिनांक : 22/03/2018

निर्णय दिनांक : 09/10/2019

1. मांगीलाल पुत्र पुस्या उर्फ पूसाराम उम्र 48 वर्ष
2. मुकनाराम पुत्र पुस्या उर्फ पूसाराम उम्र 38 वर्ष
3. सोनाराम पुत्र पुस्या उर्फ पूसाराम उम्र 32 वर्ष
4. मोतीराम पुत्र पुस्या उर्फ पूसाराम उम्र 26 वर्ष

   समस्त जातियान जाट निवासीगण मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
5. श्रीमति लाडा देवी पत्नि स्व0 पूस्या उर्फ पुसाराम जाति जाट निवासी मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
6. श्रीमति सरजू देवी उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व0 श्री पुस्या उर्फ पूसाराम पत्नि खेमाराम जाट हाल निवासी भावसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
7. श्रीमति सुवा देवी पुत्री स्व0 श्री पुस्या उर्फ पूसाराम पत्नि रामनिवास जाति जाट हाल निवासी देवा की ढाणी तन नरैना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
8. श्रीमति जमना देवी पत्नि स्व0 मूलाराम जाति जाट निवासी मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
9. यादराम पुत्र स्व0 मूलाराम नाबालिग जरिये वली माता जमना देवी
10. श्रवण पुत्र स्व0 मूलाराम नाबालिग जरिये वली माता जमना देवी
11. सुप्यार देवी पुत्री स्व0 मूलाराम पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
12. गोरा देवी पुत्री मुलाराम पत्नि रमेश जाट जाति जाट निवासी भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
13. नेराज पुत्री स्व0 मूलाराम पत्नि राजू जाट हाल निवासी देवा की ढाणी तन नरैना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
14. सायर पुत्री स्व0 मूलाराम पत्नि हुक्माराम निवासी सलेमाबाद तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
15. विश्राम पुत्र स्व0 घासी उम्र 46 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

16. श्योनारायण पुत्र स्व0 घासी उम्र 44 वर्ष

17. गणेश पुत्र स्व0 घासी उम्र 40 वर्ष

समस्त जातियान जाट निवासीगण मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

18. श्रीमति केशर देवी पत्नि स्व0 घासी जाट जाति जाट निवासी मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

19. श्रीमति मनोहर देवी पुत्री स्व0 घासी पत्नि नन्दाराम जाट जाति जाट निवासी श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

20. श्रीमति गलखू देवी पुत्री स्व0 श्री घासी पत्नि सोनाराम जाट जाति जाट निवासी श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

—— वादीगण

बनाम

1. छोटू पुत्र स्व0 माधो उर्फ हरनाथ उर्फ गोपी जाति जाट निवासी मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. सरकार जरिये तहसीलदार दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगएण

वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री हनुमानप्रसाद चौधरी
श्री महेश कुमार चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है एवं
प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 27/11/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा उनकी मौरूशी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

मुश्तर्का पैतृक कृषि भूमि ग्राम खेडा नागरान पटवार हल्का मंमाणा एवं ग्राम मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसको वादीगण संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वज माधो उर्फ हरनाथ उर्फ गोपी पुत्र स्व0 बलदेव उर्फ सांवला एवं प्रतिवादी संख्या 1 छोटू के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में है। ग्राम खेडा नागरान पटवार हल्का मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर का वर्तमान खाता संख्या 43 के आराजी खसरा नम्बर 1510 रकबा 3.5 हैक्टेयर में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/2 दर्ज है एवं इसी ग्राम मंमाणा के खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 1966 रकबा 3.1200 हैटेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा अन्य के नाम दर्ज है जिसके सम्बंध में कोई विवाद नही है उक्त प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त आराजीयात में जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है उसमें वादी संख्या 1 लगायत 14 जो स्व0 पूस्या उर्फ पूसाराम के वारिसान का 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 15 लगायत 20 जो स्वर्गीय घीसा के वारिशान का 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का उनके पूर्वजों के समय से आज तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार ग्राम मंमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर के वर्तमान खाता संख्या 380 के खसरा नम्बर 2177 रकबा 2.62 हैक्टेयर जो वर्तमान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बुजूर्ग माधो पुत्र सावला जाट के नाम 1/2 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है परन्तु माधो पूत्र सावला का काफी वर्षो पूर्व ही देहान्त हो चुका है तथा शेष 1/2 हिस्सा अन्य के खातेदारी है जिसके सम्बंध में कोई विवाद नही है उक्त मृतक माधो पुत्र सावला के वादीगण 1 लगायत 14 स्व0 माधो के सबसे बडे पुत्र पुस्या उर्फ पूसाराम के वारिसान एवं उत्तराधिकारी है जिनका स्व0 पूस्या की 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा है इस प्रकार माधो का तीसरा पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 छोटू का उक्त पूस्या की उक्त आराजी 1/3 हिस्सा है यानि सम्पूर्ण उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 2177 रकबा 2.62 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 लगायत 14 का 1/6 हिससा, वादी संख्या 15 लगायत 20 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा अन्य सहकाश्तकारो का है। मद नम्बर 3 में वर्णित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजीयात रही है तथा वादी संख्या 1 लगायत 14 जो मृतक परिवार की आराजीयात रही है तथा वादी संख्या 1 लगायत 14 जो मृतक पूस्या उर्फ पूसाराम के वारिसान है तथा वादी संख्या 15 लगायत 20 मृतक घीसा के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 1 छोटू भाई के वारिसान है। इस प्रकार उक्त आराजीयात में जो मद नम्बर 3 में वर्णित आराजीयात जो अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्सा दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

है उसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 14 का 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण हिस्सा का 1/6 एवं वादी संख्या 15 लगायत 20 में उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 केक 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वर्तमान में जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्व अस्वस्थ है तथा उसके पुत्र ने दिनांक 04.03.18 को ऐलानिया धमकी देते हुये कहा कि जमीने हमारे पिताजी के नाम है तथा वादीगण के हक हकूको से इंकार किया। जबकि उक्त विवादित आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की रही है इसलिए वादीगण को उक्त आराजीयात को अपने हको की घोषणा करना एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित आराजीयात को वादी संख्या 1 लगायत 14 को प्रतिवादी संख्या 1 क 1/2 हिस्से में 1/3 यानि सम्पूर्ण आराजीयात में 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 को उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजीयात का 1/6 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का जो 1/2 हिस्सा में 1/3 यानि सम्पूर्ण हिस्से में 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा पूर्वत अन्य पक्षकारान का रखा जावे। वाद पत्र का पैरा संख्या 4 में वर्णित आराजीयात जो वर्तमान में पक्षकारान के बुजूर्ग स्व0 माधो पुत्र सावला के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण 1 लगायत 14 को 1/3 हिस्से एवं वादीगण 15 लगायत 20 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वादीगण के हिस्से में आयी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 01/05/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया एवं इकबालिया जवाबदावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 फोर्मल पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

दिनांक 03/07/2019 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा दादरसी अनुसार वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावें, जिसमें पक्षकारान को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम मंमाणा सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 43 वाके ग्राम खेडा नागरान, खाता संख्या 150 ग्राम मंमाणा, खाता संख्या 380 ग्राम मंमाणा, ग्राम पंचायत द्वारा जारी सिजरा प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी वाके ग्राम मंमाणा सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 43, 150, 380 के अनुसार विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आपस मे कम ज्यादा दर्ज है, जबकि वादीगण ने अपने वाद–पत्र में उक्त आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजीयात होना दर्ज किया है एवं वादीगण संख्या 1 लगायत 14 जो मृतक पूस्या उर्फ पूसाराम के वारिशान है तथा वादीगण 15 लगायत 20 मृतक धीसा के वारिश है तथा प्रतिवादी संख्या 1 छोटु के वारिशान हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात संयुक्त परिवार की आराजीयात रही हैं तथा सभी पक्षकारान ने मौके पर बांटकर काबिज काश्त होना दर्शित किया है एव इसी अनुसार खातेदारी दर्ज करवाने हेतु वाद–पत्र पेश किया हैं, चूंकि मुताबिक सिजरा पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना पाये जाते है एवं विवादित आराजीयात भी संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से क्रय करना पाया जाता है। इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इकबालिया जवाबदावा एवं राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करायी है तथा डिक्री किये जाने में पूर्ण सहमति प्रकट की हैं इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

अतः वादीगण का वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 43 के आराजी खसरा नम्बर 1510 रकबा 3.0500 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडा नागरान, तहसील दूदू व खाता संख्या 150 के आराजी खसरा नम्बर 1966 रकबा 3.12 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू में वादीगण संख्या 1 लगायत 14 को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में 1/3 यानि सम्पूर्ण आराजीयात में 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 को उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजीयात का 1/6 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का जो 1/2 हिस्सा में 1/3 यानि सम्पूर्ण हिस्से में 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता सख्या 380 के आराजी खसरा नम्बर 2177 रकबा 2.62 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू जो वर्तमान में पक्षकारान के बुजूर्ग स्व0 माधो पुत्र सावला के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण 1 लगायत 14 को 1/3 हिस्से एवं वादीगण 15 लगायत 20 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31 '52

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत : न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुकाम दूदू

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S

1. मांगीलाल 2. मुकनाराम, 3 सोना-राम 4. मोतीराम पुत्रान् 1. छोटू पुत्र माधो उ गोपी जाट पुष्पा उ पुखराज व अन्य बनाम 2. शाखा प्रबंधक P.N.B आखा कलां 3. TDR Dudu

दावा बावत खेवट दुरुस्ती मुकदमा नं. 23/2018 रान

20 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हनुमान प्रसाद चौधरी एडवोकेट

व हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रूबरू श्री भैरूलाल शर्मा MSD

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद-पत्र डिक्री किया जाकर खातेदारी खाता नं. 43 के ख०नं० 1510 रकबा 3.0500 हे० वाके ग्राम खेड़ा नाथरान तहसील दूदू व खाता सं० 150 के ख०नं० 1966 रकबा 3.12 हे० वाके ग्राम मण्डावा तह० दूदू में वादीगण सं० 1 ता० 14 को प्रतिवादी सं० 1 के 1/2 हिस्से में 1/3 यानि सम्पूर्ण आराजीयात में 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं० 15 ता० 20 को उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं० 1 के 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजीयात का 1/6 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 का जो 1/2 हिस्से में 1/3 यानि सम्पूर्ण हिस्से में 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खाता सं० 380 के ख.नं. 2137 रकबा 2.62 हे० वाके ग्राम मण्डावा तह० दूदू जो वर्तमान में पक्षकारान के बुजुर्ग श्री माधो पुत्र सावता के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण 1 ता० 14 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज मुवक्किल बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह ...... फीसदी ...... की आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... को अदा करे

आज तारीख ...... माह ...... सन ...... को बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

दिनांक 09-10-2019

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner